uxj iapk;r ukn©u] rglhy ukn©u] ftyk gehjiqj] ds vof/k 4@2010 ls 3@2012 ds ys[kkvksa dk vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu

Hkkx&,d

1 izLrkouk

¼d½ ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिषों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संषोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेष सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0)खण्ड–IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेषक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेष को सौंपे जाने के दृष्टिगत, नगर पंचायत, नादौन, जिला हमीरपुर के अवधि 4/10 से 3/12 के लेखाओं का अंकेक्षण किया गया।

¼[k½ vof/k 4@2010 ls 3@2012 ds nkSjku vads{k.k esa ik;h xbZ vfu;ferrkvksa dk laf{kIr lkj%&

Øe la[;k	vfu;ferrkvksa dk laf{kIr lkj	iSjk la[;k	jkf'k yk[kksa esa
1	गृह कर की राषि का वसूली हेतु षेष पाया जाना	6 (क)	40.14
2	गृहकर के अन्तषेष को आगामी वर्ष के प्रारम्भिक षेष में कम लिया जाना	6 (ख)	0.30
3	किराए की राषि का वसूली हेतु षेष पाया जाना	7	11.68
4	मोबाईल टावर षुल्क की वसूली हेतु राषि षेष पाया जाना	8	0.14
5	गलत वेतन निर्धारण के कारण अधिक भुगतान तथा सेवा निवृति पर Leave encashment के रूप में अधिक भुगतान	14 व 15	

¼x½ xr vads{k.k izfrosnu%&

संस्था द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के "परिषिष्ट A" पर दिया गया है। अंकेक्षण के दौरान यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है जोकि अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः परामर्ष दिया जाता है कि नगर पंचायत द्वारा इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विषेष

अभियान/कार्रवाई करनी सुनिष्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

Hkkx&nks

2 orZeku vads{k.k%&

नगर पंचायत नादौन के अवधि 04/2010 से 03/2012 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण, श्री अजीत सिंह अनुभाग अधिकारी व श्री विद्या सागर कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 24.08.2012 से 21.9.2012 के दौरान नादौन में किया गया जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित है। लेखाओं की विस्तृत जांच करने हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया।

o"kZ	vk;	O;;
2010–11	3/2011	4/2010
2011–12	3/2012	2/2012

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप नगर पंचायत नादौन द्वारा उपलब्ध कार्रवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। नगर पंचायत नादौन द्वारा प्रदान की गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई है के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग जिम्मेदार नहीं है।

3 vads{k.k 'kqYd%&

नगर पंचायत नादौन के अवधि 4/2010 से 3/2012 के लेखाओं के अंकेक्षण षुल्क हेतु अंकेक्षण षुल्क का आंकलन ₹24200/–किया गया। अंकेक्षण षुल्क की उपरोक्त राषि को नगर पंचायत द्वारा बैंक ड्राफ्ट संख्या 359231 दिनांक 28.9.2012 के माध्यम से प्रेषित कर दिया गया है।

4 foÙkh; fLFkfr%&

¼d½ नगर पंचायत की अंकेक्षणाधीन अवधि 4/2010 से 3/2012 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी जिसका विस्तृत विवरण परिषिष्ट "क–1" तथा "क–2" में भी दिया गया है।

o"kZ 2010&11

प्रारम्भिक षेष	3577212.79
आय	9524446.00
कुल राषि	13101658.79
व्यय	10032931.00
अन्तिम षेष	3068727.79

o"kZ 2011&12

प्रारम्भिक षेष	3068727.79
आय	11342101.21
कुल राषि	14410829.00
व्यय	10834823.00
31.3.12 को अन्तिम षेष	3576006.00

¼[k½ cSad lek/kku fooj.kh%&

¼i½ fnukad 31-3-12 dks cSad esa tek jkf'k%&

Ø0 l0	cSad dk uke	cpr [kkrk la[;k	jkf'k
1	OBC नादौन	7458	40582.38
2	SBI नादौन	11306445830	76367.92
3	SBI नादौन	841	142767.53
4	SBI नादौन	11306446185	194481.25
5	SBI नादौन	11306446196	683393.20
6	SBI नादौन	11306446209	84892.47
7	SBP नादौन	65110276153	2246841.00
8	CBI नादौन	2158278778	39110.00
9	CBI नादौन	2158282286	9024.00
10	KCCB नादौन	2001552	34179.25
			3551639-00

t ek&

दिनांक 31.3.12 को प्राप्त राषि जिसे बैंक में जमा करवाया गया था परन्तु बैंक द्वारा क्रेडिट नहीं किया गया	(+)46622.00
	3598261-00

ekbuI

जारी किए गए चैक जिन्हे बैंक द्वारा 31.3.12 तक Debit नहीं किया था	(–) 22255.00
jkdM ogh d vuqlkj 'ks"k	357606-00

¼ii½ उक्त बैंक समाधान विवरणी में बैंक द्वारा 31.3.12 तक क्रेडिट न दी जानी वाली ₹46622/–तथा नगर परिषद द्वारा जारी किए गए चैक से सम्बन्धित ₹22255/– (जिन्हें बैंक द्वारा 31.3.12 तक डेबिट नहीं किया गया था) का विवरण नहीं दिया गया है। अतः अपेक्षित विवरण देने के अतिरिक्त यह भी सुनिष्चित किया जाए कि बैंक द्वारा उक्त राषि का क्रेडिट कब–2 दिया गया तथा बैंक द्वारा कब–2 राषि डेबिट की गई

¼x½ नगर पंचायत की वित्तीय स्थिति तथा बैंक समाधान विवरणी अवलोकन करने पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा समस्त राषि बचत खातों में रखी गई है तथा कोई भी राषि सावधि जमा योजना में निवेषित नहीं की गई है जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं।

5 vuqnku&

अंकेक्षणाधीन अवधि में नगर पंचायत नादौन द्वारा प्राप्त अनुदान की राषि, व्यय की गई तथा अनुदान के अन्तषेष की राषि का विवरण परिषिष्ट "ख" में दिया गया है। उक्त परिषिष्ट "ख" में दिए गए अनुदान के विवरण के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अनुदान की राषियों के आंकड़े नगर पंचायत की वित्तीय स्थिति से सम्बन्धित परिषिष्ट "क–1" तथा "क–2" में दिए जाए अनुदान के आंकड़ो मे मेल नहीं खाते हैं जिनकी संस्था स्तर पर जांच करके वस्तु स्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

6 x`gdj dh olwyh dk ckjs&

नगर पंचायत द्वारा गृहकर की वसूली से अभिलेख की जांच में निम्नलिखित अनियमितताए पाई गईः–

¼d½ x`g dj dh ₹4014099 @& dk olwyh gsrq 'ks"k ik;k x;k tkuk%&

संस्था द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना जिस का विस्तृत विवरण "परिषिष्ट–ग" में दिया गया है के अनुसार दिनांक 31.3.2012 तक गृह कर के रूप में ₹4014099/–वसूली हेतु लम्बित थी। निदेषक, षहरी विकास के पत्र संख्या ULB-H(A)(7)1/84-9237 से 9284 दिनांक 20.6.2001 के अनुसार करों की षत प्रतिषत वसूली के निर्देष जारी किए गए थे मगर गृहकर की वसूली संस्था द्वारा प्रभावी ढंग से नहीं की जा रही थी जिसके परिणामस्वरूप संस्था के विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे थे। अतः गृहकर की वसूली हेतु लम्बित राषि को वसूल करने हेतु षीध्र ही नियमानुसार आवष्यक उचित कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा देरी से गृह कर को जमा करवाने के लिए दण्ड प्रभार की भी वसूली करनी सुनिष्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

¼[k½ x`gdj dk vUr'ks"k dh ₹30131@&dks vkxkeh o"kZ dk izkjfEHkd 'ks"k esa de fy;k tkuk

संस्था के गृहकर के रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि निम्न प्रकरणों मे संस्था ने गृह कर की अन्तिम षेष की राषियों को आगामी वर्ष की प्रारम्भिक षेष में कम दर्षाया गया था जिसके परिणामस्वरूप संस्था द्वारा प्रारम्भिक षेष में ₹30131/–कम ली गई है जोकि आपत्तिजनक है। अतः इन प्रकरणों में आवष्यक नियमानुसार कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

okMZ la0	edku u0	fnukad 31-3-10 dk vfUre 'ks"k	fnukad 1-4-10 dk izkjfEHkd 'ks"k	vUrj
1	104	978	815	163
1	105	288	240	48
1	106	342	285	57
1	107	186	155	31
1	108	3732	3110	622

1	109	1566	1246	320
1	110	4938	4115	823
1	112	1596	1197	399
1	114	2511	2009	502
1	116	6940	5205	1735
1	117	5180	3885	1295
1	118	1524	1143	381
1	119	1524	1143	381
1	120	2982	2485	497
1	121	1548	1032	516
1	122	1548	1032	516
1	123	1624	812	812
1	129	5086	2543	2543
7	4	582	388	194
7	8	11292	7528	3764
7	9	1668	1112	556
7	10	1686	1124	562
7	11 A	2868	1912	956
7	12	24900	16600	8300
7	13	2474	8316	4158
			dqy jkf'k	₹30131

7 fdjk, dh ₹1168826@&olwyh gsrq 'ks"k ik;k tkuk&

अंकेक्षण में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकारी में विभिन्न स्थानों पर दुकानों/स्टालों/खोखो इत्यादि का निर्माण किया गया था जो कि अब संस्था की आय का मुख्य स्त्रोत है। संस्था द्वारा अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई गई सूचना जिसका विस्तृत विवरण "परिषिष्ट–घ" में दिया गया है के अनुसार दिनांक 31.3.2012 को किराये के रूप में ₹1168826/–वसूली हेतु लम्बित थी। अंकेक्षण अवधि में संस्था द्वारा किराये की कुल वसुली

योग्य राषि की लगभग 48% की ही वसूली की गई थी जिससे प्रतीत होता है कि संस्था द्वारा किराये की वसूली हेतु प्रभावषाली कार्रवाई नहीं की गई थी जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अब इस बकाया राषि की वसूली हेतु नियमानुसार एवं प्रभावषाली कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा आवष्यकता अनुसार किराये की बकाया राषि की वसूली को सुनिष्चित करते हुए जहॉ आवष्यक हो वहॉ कानूनी कार्रवाही भी अमल में लाई जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 ekckbly Vkoj 'kYd dh ₹10000@&dk olyh gr 'k"k ik;k tkuk

हिमाचल प्रदेष सरकार की अधिसूचना संख्याः HIM/TP/PJT/ALR/Vol-1x/06-8695-8760 दिनांक 16.10.2006 के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र में मोबाईल सेवा प्रदान करने वाली विभिन्न कम्पनियों द्वारा लगाए गए मोबाईल टावरों में स्थापना षुल्क, वार्षिक नवीकरण षुल्क और प्रत्येक टावर में साझेदारी के आधार पर लगाये गए अतिरिक्त अन्टीना के लिए अतिरिक्त षुल्क इत्यादि की वसूली हेतु प्रावधान दिया गया है। संस्था द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई सूचना जिसका विवरण "परिषिष्ट संख्या ङ" में दिया है के अनुसार दिनांक 31.3.2012 को विभिन्न मोबाईल सेवा प्रदान करने वाली कम्पनियो ंसे ₹10000/–वसूली हेतु लम्बित थी। इसके अतिरिक्त संस्था द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र में नये लगे मोबाईल टावरों का कोई उल्लेख नहीं था व मोबाईल टावरों पर अतिरिक्त अन्टीनों का भी कोई ब्यौरा नहीं दिया गया था। अतः नगर पंचायत क्षेत्र में मोबाईल टावरों में साझेदारी के आधार पर लगाए गए अतिरिक्त अन्टीनों व नये मोबाईल टावरों का भी सर्वेक्षण करवाया जाए और तदानुसार उपरोक्त अधिसूचना के द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार वसूली की जाए तथा षेष बकाया राषि की भी नियमानुसार वसूली की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 'kjkc 'kYd%&

अंकेक्षण मे ंपाया गया कि नगर पंचायत को अवधि 2011–12 से सम्बन्धित षराब षुल्क की राषि आबकारी एवं कराधान विभाग से प्राप्त नहीं हुई थी। अतः षराब षुल्क की नियमानुसार देय राषि को आबकारी एवं कराधान विभाग से वसूल न करने का औचित्य स्पष्ट

किया जाए तथा इस की वसूली हेतु सम्बन्धित विभाग से मामला उठा कर ष्राब षुल्क की नियमानुसार आवष्यक वसूली की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 d|y ctV d 1% Hkkx fun'kky; dk u Hkt dj i'ku ,o minku [kkr e tek dju ckj&

हिमाचल प्रदेष सरकार की अधिसूचना संख्या LSG-B(1)-1/79-III दिनांक 25.4.2000 द्वारा नगर पालिकाओं में कार्यरत्त कर्मचारियों के पैन्षन उपदान एव सामान्य भविष्य निधि नियम अधिसूचित किये गये थे तथा इन नियमों के नियम 16 में यह प्रावधान किया गया था कि कर्मचारियों के पैन्षन, अंषदान एवं सामान्य भविष्य निधि खातों का रख रखाव निदेषक, षहरी विकास, हिमाचल प्रदेष द्वारा किया जाएगा व कृत बजट का 1% भाग विभागीय प्रभारों के रूप में निदेषालय को भेजा जाना अपेक्षित था लेकिन नगर पंचायत नादौन द्वारा नियमो की गलत विवेचना करके वर्ष 2010–11 हेतु कुल स्वीकृत बजट के 1% भाग निर्देषालय को न भेज कर इस ₹141150/–को कर्मचारी पैन्षन एवं उपदान खाते में जमा करवाया है जिसके कारण स्पष्ट किए जाए।

11 fo|r mi e.My dk ₹293790@&dk vfxe iknu dju ckj
okmpj l[;k 903] fukd 27-2-2012

सहायक अभियन्ता विद्युत उप मण्डल नादौन को अग्रिम ₹293790/–का भुगतान चैक संख्या 048116 दिनांक 27.2.2012 द्वारा (Replacement of Rottan Service with Bar Conductor in Nagar Panchayat Area) के सन्दर्भ में किया गया जिसमें निम्नलिखित टिप्पणियां अपेक्षित हैः–

¼d½ विद्युत विभाग से अग्रिम राषि के विरूद्ध कुल निष्पादित कार्य का समायोजन उनके द्वारा पूर्व में प्राकलनित मात्रा एवं दरों के दृष्टिगत किया जाए तथा यदि प्राकलन में दर्षायी गई मात्रा से कम कार्य निष्पादित हुआ हो तो उतनी राषि की षीध्र वसूली करके नगर पंचायत खातों में जमा करवाई जानी सुनिष्चित की जाए।

¼[k½ बदली गई "Rottan Service Wire" के अवषेष को नगर पंचायत के "Dead Account Register" में दर्ज कर के इसे नियमानुसार नीलाम किया जाए तथा प्राप्त आय को नगर पंचायत खाते में जमा करवाकर अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाएं

12 LVkj ls tkjh lhesUV dh de fuxZe nj yxkus ds dkj.k ₹4576@& dh gkfu%&

माह 12/2009 में हिमाचल प्रदेष राज्य नागरिक आपूर्ति निगम षिमला को बैंक ड्राफ्ट संख्या 633585 दिनांक 3.12.2009 द्वारा ₹74486/–का भुगतान 400 बोरी सीमेन्ट खरीदने के लिए किया गया। नगर पंचायत क्षेत्र में विकासात्मक कार्या के लिए संविदाकारों को उपरोक्त खरीद से जारी सीमेन्ट की वसूली ₹180 प्रति बोरी की गई है जबकि निम्नविवरणानुसार संविदाकारों से यह वसूली ₹193/– प्रतिबोरी की दर से की जानी अपेक्षित थी। इस प्रकार जारी सीमेन्ट की कम निर्गम दर से वसूली करने के परिणामस्वरूप नगर पंचायत को ₹4576/–की हानि हुई है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस राषि की वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर पंचायत खातों में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाए।

400 बोरी सीमेन्ट की कीमत	74486
1 बोरी सीमेन्ट की कीमत	186.22
Add: unloading Charges	1.00
Add: Storage Charges 3%	5.59
1 बोरी सीमेन्ट की निर्गम दर	192.81 or ₹193
संविदाकारों को जारी सीमेन्ट	352 बोरी
जारी सीमेन्ट पर कुल हानि	(193-180)x352=4576/-

13 uxj iapk;r }kjk JCB }kjk djok, x, dk;Z dh iSekb'k u n'kkZ;k tkuk%&

मास 2/2012 में श्री सुमन चौधरी को जे0सी0बी0 द्वारा ब्यास नदी के निकट वाले नाले की सफाई करने हेतु 9 घण्टे 27 मिनट समय के लिए ₹900/–प्रति घण्टे की दर से ₹8505/–का भुगतान किया गया। नगर पंचायत नादौन द्वारा प्रस्तुत अभिलेख में J.C.B द्वारा करवाए गये कार्य की कोई पैमाइस नहीं की गई थी जिसके अभाव में किये गये भुगतान को सत्यापित नहीं किया गया जा सका। अतः JCB द्वारा निष्पादित किए कार्य की पैमाईस करके किये गये भुगतान को JCB के प्रतिघण्टा कार्य करने क्षमता से प्रतिबन्धित किया जाए तथा अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

14 xyr osru fu/kkZj.k ds dkj.k ₹7282@& dk vf/kd Hkqxrku

वाउचर संख्या 3, मास 4/2010 के अन्तर्गत निम्नलिखित कर्मचारियों को माह 3/2010 का वेतन जो अप्रैल 2010 में दिया गया था, का अवलोकन करने पर पाया गया कि गलत वेतन निर्धारण के परिणामस्वरूप ₹7282/–का अधिक भुगतान किया गया था जिस की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से जी–8 21/41 दिनांक 14.9.2012 द्वारा मौके पर कर ली गई।

Ø0 l0	deZpkjh dk uke	inuke	Hkqxrku dh xbZ jkf'k	ns; jkf'k	vf/kd Hkqxrku dh xbZ jkf'k
1	छिंदो देवी	सफाई कर्मचारी	8593	7931	662
2	सोम राज	सफाई कर्मचारी	8593	7931	662
3	नरेन्द्र कुमार	सफाई कर्मचारी	8593	7931	662
4	देवराज	बेलदार	8693	8031	662
5	सतीष कुमार	बेलदार	8693	8031	662
6	हंसराज 1	बेलदार	8693	8031	662
7	जीवन कुमार	बेलदार	8693	8031	662
8	हंश राज II	बेलदार	8693	8031	662
9	रमेष चन्द	बेलदार	8693	8031	662
10	सुरजीत सिंह	बेलदार	8693	8031	662
11	केहर सिंह	बेलदार	8693	8031	662
				dqy vf/kd Hkqxrku	₹7282

अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति न की जाए।

15 lok fuo'fr ij vftlr vodk'k udnhdj.k d :i e ₹7082@&dk vf/kd Hkqxrku&

दिनांक 31.10.2011 को सेवा निवृत हुए श्री बाबू राम बेलदार को सेवानिवृति पर दिये गये वित्तीय लाभों से सम्बन्धित अभिलेख में अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त कर्मचारी को अर्जित अवकाष नकदीकरण के रूप में 118 दिनों का भुगतान किया गया जबकि यह भुगतान 103 दिनों हेतु देय था। उक्त कर्मचारी के अर्जित अवकाष खाते का संक्षिप्त विवरण तथा अधिक भुगतान की गई राषि का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

vof/k	vodk'k vftlr	0;rhr fd;k x;k vftlr vodk'k	'k"k vftlr vodk'k
31.12.2010	–	–	300
1.1.11 से 30.6.2011	15	–	315
24.3.11 से 30.6.11	–	99	216
1.7.11 से 31.10.11 (2.5X4)	10	–	226
1.7.11 से 31.10.11	–	123	103
1.10.2011 को कर्मचारी का मूल वेतन			9380 (PB+GP)
मंहगाई भत्ते की दर			51 %
वेतन जिस पर Leave encashment दिया गया			14164
जितने दिनो का अधिक भुगतान किया गया			14164X(118–103)/30

₹7082

अतः अधिक भुगतान की गई राषि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 njHkk"k d fcyk d n; frfFk ij Hkxrku u dju d dkj.k ₹21-48 dk vf/kd Hkxrku djuk&

okmpj l[;k 879 fnukd 16-2-12

उपरोक्त वाउचर द्वारा ₹1207/–का भुगतान दूरभाष बिल के रूप में किया गया। नगर पंचायत द्वारा बिल की देय तिथि के उपरान्त भुगतान करके ₹21.48/–की अतिरिक्त अदायगी विलम्ब षुल्क के रूप में की गई जो उचित नहीं थी। अतः दूरभाष बिल का भुगतान समय पर न करने का औचित्य स्प्ष्ट किया जाए तथा अधिक भुगतान की गई इस राषि की वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर पंचायत खातों में जमा करवाकर अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

17 fctyh d lkeku dh [kjhn ij ₹325@&dk vf/kd Hkxrku djuk

okmpj l[;k 907 fnukd 29-2-2012

मै0 षर्मा लाईट हाऊस मेन बाजार हमीरपुर को उनसे खरीदे गये बिजली के सामान हेतु ₹24675/–का भुगतान किया गया है। इस भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि इस खरीद हेतु प्राप्त निविदाओं में उपरोक्त फर्म की दरें न्यूनतम थी। तदोपरान्त दरों बारे हुई नेगोषियेषन के अनुसार निम्नलिखित मदों की दरें कम की गई लेकिन उपरोक्त वाउचर में संलग्न बिल में दर्षाई गई दरें नेगोषियटिड दरो से अधिक थी जिसके परिणामस्वरूप फर्म को निम्न विवरणानुसार ₹325/–का अधिक भुगतान किया गया। अतः भुगतान करने से पूर्व नेगोषियेटिड दरों का अवलोकन न करके अधिक भुगतान करने का

औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अधिक भुगतान की गई राषि की वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर पंचायत खातों में जमा करवाई जाए।

en dk uke	enk l0	dh nh xbZ nj	?kVkbZ xbZ nj	vUrj	vf/kd Hkqxrku
SVL 250W Philips	5	585	560	15	75
SVL Ballest 250 W.	5	1350	1300	50	250
				;kx	₹325

18 fctyh d fcyk e fofHkUu iHkkjk dk u n'kk;k tkuk&

निम्नलिखित वाउचरों द्वारा भुगतान किये गये बिजली के बिलों का अवलोकन करने पर पाया गया कि इन में दर्षाई गई राषियों के विरूद्ध किन–2 प्रभारों हेतु बिल को भुगतान के लिए प्रस्तुत किया था, का स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है जिस के अभाव में भुगतान की गई राषि को सत्यापित नहीं किया जा सका। अतः अनुपालना हेतु राय दी जाती है कि बिजली बोर्ड कार्यालय से इन बिलों में दर्षायी गई राषियों के विरूद्ध प्रभारों का पूर्ण विवरण प्राप्त किया जाए ताकि भुगतान की गई राषि का औचित्य स्पष्ट हो सके।

ok0 l0	fnukd	Hkqxrku dh xbZ jkf'k	fctyh fcy e n'kk;h xbZ [kir
900	27.2.2012	₹45448	1005 यूनिट
902	27.2.2012	₹6171	षून्य

19 jÌh dh uhykeh&

अंकेक्षण में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा अवधि 2011–12 से सम्बन्धित अखबारों की रद्दी की नीलामी नहीं की गई थी जिस का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अब नियमानुसार षीध्रता से अपेक्षित कार्रवाई की जाए और अनुपालना को आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाए।

20 LVkj@LVkd dk iR;{k lR;kiu u djokuk ckj

अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर पंचायत के स्टोर/स्टॉक से सम्बन्धित अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा नियमानुसार समय–2 पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया है। अतः अनुपालना हेतु राय दी जाती है कि स्टोर/स्टॉक के प्रत्यक्ष सत्यापन हेतु नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग का अवगत करवाया जाए।

21 y/k vkifr foojf.kdk& यह अलग से जारी नहीं की गई।

22 fu"d"k& लेखाओं के रख रखाव में सुधार की आवष्यकता है।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :– (V)(32)फिन(एल0ए0डी0) दिनांक, षिमला–171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :–

ithdrk& 1. सचिव, नगर पंचायत नादौन, जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेष को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक मास के भीतर प्रेषित करें।

2. निदेषक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेष षिमला–171002,

3- श्री अजीत सिंह अ0अ0 द्वारा............................

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष षिमला–171009.

"ifjf'k"V A"

¼ikjk 1¼x½ e lUnfHkr½

vd{k.k ifronu vof/k 9@63 l io

संस्था द्वारा 9/63 से पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदन अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गये।

vd{k.k ifronu vof/k 9@63 l 5@68

1	पैरा–5	अनिर्णीत
2	पैरा–6	अनिर्णीत
3	पैरा–7 (1) (2)	अनिर्णीत
4	पैरा–8	अनिर्णीत
5	पैरा–9	अनिर्णीत
6	पैरा–10	अनिर्णीत
7	पैरा–12 (1) (2)	अनिर्णीत
8	पैरा–13 (1 से 17)	अनिर्णीत
9	पैरा–14	अनिर्णीत
10	पैरा–15	अनिर्णीत

11	पैरा–16	अनिर्णीत

vid{k.k ifronu vof/k 6@68 ls 10@74

1	पैरा–9	अनिर्णीत

vid{k.k ifronu vof/k 4@77 ls 3@82

1	पैरा–10 (डी)	निर्णीत
2	पैरा–32 (ए)	अनिर्णीत
3	पैरा–32 (बी)	निर्णीत (₹49/– की वसूली जी–8 36/4 द्वारा दिनांक 19.9.2012 को कर ली)
4	पैरा–32 (सी से यू)	अनिर्णीत

vid{k.k ifronu vof/k 4@82 ls 3@84

1	पैरा–27	अनिर्णीत
2	पैरा–28	अनिर्णीत

vid{k.k ifronu vof/k 4@84 ls 3@88

1	पैरा–8	अनिर्णीत

vd{k.k ifronu vof/k 4@88 l 3@90

1	पैरा–8	अनिर्णीत

vd{k.k ifronu vof/k 4@90 l 3@92

1	पैरा–9 (1)	अनिर्णीत
2	पैरा–9 (2)	अनिर्णीत
3	पैरा–12 (1) (2)	अनिर्णीत
4	पैरा–12 (3)	अनिर्णीत

vd{k.k ifronu vof/k 4@92 l 3@95

1	पैरा–9 (2)	निर्णीत (नगर पंचायत के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
2	पैरा–9 (3)	निर्णीत (पैरे की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/10 से 3/2012 में दी गई है)

vd{k.k ifronu vof/k 4@95 l 3@2005

1	पैरा–6	अनिर्णीत
2	पैरा–7	अनिर्णीत
3	पैरा–8	अनिर्णीत
4	पैरा–9	अनिर्णीत
5	पैरा–11 (2)	निर्णीत (अनुपालना कर ली गई है)
6	पैरा–13	अनिर्णीत
7	पैरा–15	अनिर्णीत
8	पैरा–16	अनिर्णीत

9	पैरा–18	निर्णीत
10	पैरा–19	निर्णीत
11	पैरा–23	निर्णीत
12	पैरा–24	अनिर्णीत
13	पैरा–26	अनिर्णीत
14	पैरा–31	अनिर्णीत
15	पैरा–32	निर्णीत (अपेक्षित कार्रवाई कर ली गई है)
16	पैरा–33	निर्णीत (नगर पंचायत द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
17	पैरा–34	अनिर्णीत
18	पैरा–38	निर्णीत (अनुपालना कर ली गई है)
19	पैरा–40	अनिर्णीत
20	पैरा–42	अनिर्णीत
21	पैरा–45	निर्णीत (नगर पंचायत द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
22	पैरा–48	अनिर्णीत
23	पैरा–50	निर्णीत (पैरे की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/10 से 3/12 में दी गई है)

vid{k.k ifronu vof/k 4@2005 l 3@2007

1	पैरा–2	निर्णीत	(अनुपालना कर ली गई है)
2	पैरा–3 (घ)	अनिर्णीत	
3	पैरा–3 (च) (1)	निर्णीत	(किराये की वसूली कर ली गई है)
4	पैरा–3 (च) (2)	निर्णीत	
5	पैरा–4 (ख)	निर्णीत	(₹19033/– की वसूली फर्म के बिल संख्या 5 दिनांक 8.4.08 के अन्तर्गत कर ली गई है)
6	पैरा–4 (ग)	निर्णीत	(नगर पंचायत द्वारा दिये गये

			स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
7	पैरा–5 (क) (1, 2, 3)	अनिर्णीत	
8	पैरा–5 (ग) (1)	अनिर्णीत	
9	पैरा–5 (ग) (2)	अनिर्णीत	
10	पैरा–5 (ग) (3)	अनिर्णीत	
11	पैरा–5 (घ) (1)	अनिर्णीत	
12	पैरा–5 (घ) (2)	अनिर्णीत	
13	पैरा–5 (च)	अनिर्णीत	
14	पैरा–5 (छ)	अनिर्णीत	
15	पैरा–5 (ज)	निर्णीत	(अपेक्षित कार्रवाई कर ली गई है)
16	पैरा–5 (झ)	निर्णीत	–यथोपरि–
17	पैरा–5 (ञ)	अनिर्णीत	
18	पैरा–5 (ट)	अनिर्णीत	
19	पैरा–5 (ठ) (1)		(पैरों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान
20	पैरा–5 (ठ) (2)		कर लिया गया था)
21	पैरा–5 (ड) (2)	निर्णीत	(नगर पंचायत द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
22	पैरा–5 (ड) (3)	अनिर्णीत	
23	पैरा–6 (क)	निर्णीत	(नगर पंचायत द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
24	पैरा–6 (ख)	अनिर्णीत	
25	पैरा–7	अनिर्णीत	
26	पैरा–8 (1)	अनिर्णीत	

vd{k.k ifrosnu vof/k 4@2007 l 3@2009

1	पैरा–6 (क)	निर्णीत	(पैरे की वर्तमान स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/10 से 3/12 में दी गई है)
2	पैरा–6 (ख)	निर्णीत	(नगर पंचायत द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण

			के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
3	पैरा–6 (ग)	निर्णीत	(नगर पंचायत द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
4	पैरा–6 (घ)	अनिर्णीत	
5	पैरा–6 (ङ)	निर्णीत	(पैरे की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/10 से 3/12 में दी गई है) (षराब कर)
6	पैरा–6 (च)	निर्णीत	(–यथोपरि–) (बिजली षुल्क)
7	पैरा–6 (छ)	निर्णीत	(–यथोपरि–) (मोबाईल टावर)
8	पैरा–7 (ख)	निर्णीत	(अनुपालना कर ली गई है)
9	पैरा–7 (छ)	अनिर्णीत	
10	पैरा–7 (ञ)	अनिर्णीत	
11	पैरा–7 (ङ)	निर्णीत	(अपेक्षित कार्रवाई कर ली गई है)
12	पैरा–7 (ढ)	निर्णीत	(नगर पंचायत द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
13	पैरा–8 (क)	निर्णीत	(अनुपालना कर ली गई है)
14	पैरा–8 (ग)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
15	पैरा–8 (ट)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
16	पैरा–8 (ठ)	निर्णीत	
17	पैरा–8 (ड)	निर्णीत	(अपेक्षित कार्रवाई कर ली गई है)
18	पैरा–8 (ण)	निर्णीत	(₹50000/–जिलाधीष हमीरपुर को वापस कर दी गई है)
19	पैरा–8 (त)	निर्णीत	(नगर पंचायत द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
20	पैरा–9 (ग)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
21	पैरा–9 (घ)	अनिर्णीत	
22	पैरा–9 (ङ)	निर्णीत	(अनुपालना कर ली गई है)
23	पैरा–9 (च)	निर्णीत	(पूर्व अंकेक्षण में निर्णीत कर दिया गया था)
24	पैरा–10 (क)	निर्णीत	(अनुपालना कर ली गई है)

25	पैरा—10 (ग)	निर्णीत	(संस्था द्वारा प्रस्ततु स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
26	पैरा—10 (घ)	अनिर्णीत	
27	पैरा—11 (ख)	अनिर्णीत	
28	पैरा—12	निर्णीत	(अनुपालना कर ली गई है)

vd{k.k ifronu vof/k 4@2009 l 3@2010

1	पैरा—5	निर्णीत	(संस्था द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के दृष्टिगत पैरा समाप्त)
2	पैरा—6	निर्णीत	(उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग को भेज दिये गये है)
3	पैरा—7	निर्णीत	(पैरे की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दी गई है)
4	पैरा—8 (1)	निर्णीत	(—यथोपरि—)
5	पैरा—8 (2)	निर्णीत	(₹66/—की वसूली जी—8 नं0 21/4 दिनांक 14.7.11 के द्वारा कर ली गई है)
6	पैरा—9	निर्णीत	(षराब कर की वसूली ₹130210/—जी—8 23/166 दिनांक 8.4.10 के द्वारा कर ली गई है)
7	पैरा—10	निर्णीत	(बिजली षुल्क की वसूली जी—8 नं0 5/191 दिनांक 16.3. 2011 के द्वारा कर ली गई है)
8	पैरा—11	निर्णीत	(मोबाईल टावर षुल्क की वसूली जी—8 10/189 दिनांक

			9.3.2011 के द्वारा कर ली गई है)
9	पैरा–12 (1)	निर्णीत	(अधिक भुगतान की वसूली निम्न प्रकार से की गई जी–8 22/40, दिनांक 5.9.12 ₹1700 जी–8 4/17, दिनांक 8.7.11 जी–8 5/23, दिनांक 6.8.11 जी–8 8/43, दिनांक 13.9.11=₹1700)
10	पैरा–12 (2)	निर्णीत	(नगर पंचायत कार्यालय द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के तहत पैरा समाप्त)
11	पैरा–12 (3)	निर्णीत	(अनुपालना कर ली गई है)
12	पैरा–12 (4)	निर्णीत	(पूर्व अंकेक्षण के दौरान ही निर्णीत किया गया था)
13	पैरा–13 (1)	अनिर्णीत	
14	पैरा–13 (2)	निर्णीत	(अनुपालना कर ली गई है)
15	पैरा–13 (3)	निर्णीत	
16	पैरा–13 (4)	निर्णीत	(अनुपालना कर ली गई है)
17	पैरा–13 (5)	निर्णीत	(सम्बन्धित अभिलेख दिखा दिया गया)
18	पैरा–14 (1)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
19	पैरा–14 (2)	निर्णीत	(अनुपालना कर ली गई है)
20	पैरा–15	निर्णीत	(पैरे की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/10 से 3/12 में की गई है)
21	पैरा–16	निर्णीत	